# बिहार सरकार
## ऊर्जा विभाग

## संकल्प

सं0–प्र०/BSP(H)CL–10/2026– 03 /पटना, दिनांक– 14.08.2026

विषयः– प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता 10,000/– (दस हजार) रूपये प्रति किलोवाट अधिकतम 20,000/– (बीस हजार) रूपये प्रति उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से 01 वर्ष के लिए कुल 1,000/– करोड़ (एक हजार करोड़) रुपये अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा माह फरवरी, 2024 में आवासीय क्षेत्र के छतों पर रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने एवं घरेलू उपभोक्ताओं को कम लागत वाले बिजली उपलब्ध कराते हुए भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों को गति प्रदान करते हुए स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देकर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से की गयी है।

2. भारत सरकार के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप 1 करोड़ घरेलू रूफटॉप सोलर स्थापना का लक्ष्य मार्च 2027 तक है।

3. योजना के अंतर्गत पात्र आवासीय उपभोक्ताओं को केन्द्र सरकार द्वारा Central Financial Assistance (CFA) प्रदान की जाती है।

केंद्र सरकार की सब्सिडी संरचना निम्नवत हैः–

(राशि रूपये में)

| रूफटॉप सोलर क्षमता | केंद्रीय सरकार की सहायता | अधिकतम सीमा |
|---|---|---|
| 1 KW तक | 30,000 प्रति KW | 30,000 |
| 2 KW तक | 30,000 प्रति KW | 60,000 |
| 2 KW से 3 KW तक अतिरिक्त क्षमता | 18,000 प्रति KW | 78,000 तक |
| 1 KW से अधिक | सब्सिडी 3 KW तक सीमित | 78,000 |

4. पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना गाइडलाइन्स के अनुसार योजना का क्रियान्वयन Consumer - Owned/Capex Mode तथा Utility Led Aggregation (ULA) Mode के माध्यम से किया जा सकता है :–

i. ULA (Utility Led Aggregation) के अंतर्गत Utility द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं की मांग का एकत्रीकरण कर रूफटॉप सोलर परियोजनाओं का क्रियान्वयन RESCO अथवा Capex Model के माध्यम से किया जाता है।

परियोजना की वित्तीय संरचना में केंद्र सरकार की CFA तथा, जहाँ लागू हो, राज्य सरकार की अतिरिक्त सहायता को शामिल किया जाता है। यह सहायता उपभोक्ता की ओर से संबंधित Vendor/Developer को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाती है।

ii. Consumer Owned/Capex Mode में उपभोक्ता स्वयं अथवा बैंक ऋण के माध्यम से रूफटॉप सोलर संयंत्र की लागत वहन करता है और निर्धारित CFA डी0बी0टी0 के माध्यम से प्राप्त करता है।

5. केंद्र सरकार द्वारा PM Surya Ghar के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी0बी0टी0) हस्तांतरण की प्रक्रिया निम्नवत है:–

(i) उपभोक्ता PM Surya Ghar : Muft Bijli Yojana के राष्ट्रीय पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर, राज्य, DISCOM, बिजली उपभोक्ता संख्या और अन्य आवश्यक विवरण के साथ पंजीकरण किया जाता है।

(ii) उपभोक्ता पोर्टल पर रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करता है और पोर्टल पर उपलब्ध पंजीकृत/अधिकृत वेंडर के माध्यम से सोलर संयंत्र की स्थापना कराया जाता है।

(iii) स्थापना पूर्ण होने के बाद DISCOM द्वारा संयंत्र का निरीक्षण, तकनीकी सत्यापन, Commissioning तथा net-metering की पुष्टि की जाती है।

(iv) DISCOM सत्यापन के बाद उपभोक्ता राष्ट्रीय पोर्टल पर subsidy/CFA claim के लिए अपना बैंक विवरण, cancelled cheque/ passbook और आवश्यक दस्तावेज अपलोड किया जाता है।

(v) राष्ट्रीय पोर्टल पर claim की जांच के बाद केंद्र सरकार की Central Financial Assistance (CFA) स्वीकृत की जाती है।

(vi) स्वीकृत CFA राशि DBT/PFMS आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। इसमें DISCOM की भूमिका मुख्यतः feasibility, inspection, commissioning और net-metering verification तक रहती है, जबकि भुगतान केंद्र सरकार की ओर से उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे किया जाता है।

(vii) राशि हस्तांतरण के बाद उपभोक्ता पोर्टल पर subsidy status देख सकता है और बैंक खाते में राशि प्राप्त होने की पुष्टि कर सकता है।

6. सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने एवं पारंपरिक आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से जुलाई 2025 में, बिहार सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" का विस्तार करते हुए घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह "125 यूनिट निःशुल्क विद्युत" उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अन्तर्गत "कुटीर ज्योति"

उपभोक्ताओं से सहमति प्राप्त करते हुए आगामी ''तीन वर्षों में न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट निःशुल्क स्थापित'' करने एवं अन्य आवासीय उपभोक्ताओं को भी सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापन हेतु अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

7. इस पहल का उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करना तथा उपभोक्ताओं को दीर्घकालिक रूप से सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है।

8. इसी उद्देश्य से राज्य की वितरण कंपनियों (DISCOMs) द्वारा Utility Led Aggregation (ULA) Mode के अन्तर्गत लगभग 58 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ RESCO Mode में सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रस्ताव MNRE को भेजा गया, जिसे बाद में MNRE के निदेश पर संशोधित कर 10 लाख उपभोक्ताओं के लिए भेजा गया। वर्तमान में 2.5 लाख उपभोक्ताओं के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। साथ ही यदि प्रथम चरण में स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत वितरण कंपनियों द्वारा कम–से–कम 75% इंस्टॉलेशन सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए जाते हैं तथा राज्य द्वारा नियमित CAPEX मॉडल के माध्यम से कम–से–कम 25% इंस्टॉलेशन प्राप्त कर लिए जाते हैं, तो अगले चरण में अतिरिक्त 2.5 लाख उपभोक्ताओं को योजना में शामिल करने हेतु MNRE से स्वीकृति प्राप्त होने की संभावना है। इसके तहत RESCO मॉडल में केन्द्र सरकार द्वारा लगभग ₹33,000 प्रति उपभोक्ता CFA तथा राज्य सरकार द्वारा ₹10,000 की अतिरिक्त सब्सिडी/वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यह अनुदान MNRE एवं राज्य सरकार द्वारा सीधे RESCO डेवलपर को प्रदान किया जायेगा एवं उपभोक्ता का खर्च शून्य होगा।

9. राज्य में PM-Surya Ghar : Muft Bijli योजना के अंतर्गत ULA Mode के RESCO मॉडल के अन्तर्गत 2.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने हेतु एजेंसियों का चयन कर लिया गया है तथा स्थापना कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

10. PM-Surya Ghar : Muft Bijli Yojana के अंतर्गत Consumer Owned/Capex Mode– इस योजना के अन्तर्गत First come- first serve के आधार पर वर्तमान में 31 मार्च 2027 तक केन्द्र सरकार के अनुदान की व्यवस्था है। दोनों वितरण कंपनियों द्वारा RDSS योजना के तहत कुल 4.82 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के परिसरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके अन्तर्गत दोनों वितरण कंपनियों द्वारा अब तक लगभग 26 हजार उपभोक्ताओं के परिसरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र की CFA के अतिरिक्त वित्तीय सहायता (SFA) उपलब्ध कराए जाने के कारण योजना की प्रगति अपेक्षाकृत अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर रही है।

11. Consumer Owned/Capex Model के अंतर्गत उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार में केन्द्र सरकार की CFA के अतिरिक्त ₹10,000 प्रति किलोवाट

अधिकतम ₹20,000 की राज्य सहायता (SFA) का प्रस्ताव है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

| रूफटॉप सोलर क्षमता | केन्द्रीय वित्तीय सहायता (CFA) | राज्य वित्तीय सहायता (SFA) | कुल सहायता (CFA+SFA) |
|---|---|---|---|
| 1 किलोवाट | ₹30,000 | ₹10,000 | ₹40,000 |
| 2 किलोवाट | ₹60,000 | ₹20,000 | ₹80,000 |
| 3 किलोवाट एवं अधिक | ₹78,000 | ₹20,000 | ₹98,000 |

भारत सरकार से संबंधित उपभोक्ता के निमित्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त होने के उपरांत ही राज्य सरकार से संबंधित उपभोक्ता के निमित्त अतिरिक्त वित्तीय सहायता की राशि निर्गत की जायेगी। इस अतिरिक्त राज्य सहायता से उपभोक्ताओं की प्रारंभिक लागत कम होगी तथा योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना की गति को बढ़ावा मिलेगा।

12. प्रस्तावित राज्य वित्तीय सहायता के कारण राज्य सरकार पर वास्तविक वित्तीय भार लाभान्वित उपभोक्ताओं की संख्या एवं स्थापित क्षमता पर निर्भर करेगा। प्रति उपभोक्ता राज्य वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 20,000/– रूपये होगी तथा योजना अधिकतम 05 लाख पात्र आवासीय उपभोक्ताओं तक सीमित रहेगी। इस आधार पर राज्य सरकार पर अधिकतम वित्तीय भार 1,000/– करोड़ रूपये होगा, जिसकी गणना 5,00,000 उपभोक्ता 20,000/– रूपये प्रति उपभोक्ता=10,00,00,00,000/– रूपये अर्थात् 1,000/– करोड़ रूपये के रूप में की गई है। राज्य के जिन उपभोक्ताओं को पूर्व में इस योजना के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो चूकी है/प्रक्रियाधीन है, उन्हे भी इस योजना का लाभ दिया जाना है।

13. योजना का क्रियान्वयन राज्य की संबंधित नोडल एजेंसी/ऊर्जा विभाग/वितरण कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा। उपभोक्ता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन, स्वीकृति, स्थापना, निरीक्षण एवं नेट–मीटरिंग की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात पात्रता के आधार पर राज्य वित्तीय सहायता जारी की जाएगी। राज्य वित्तीय सहायता का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा।

**<u>उपभोक्ता खाते में DBT हस्तांतरण की प्रक्रिया निम्नवत है:–</u>**

i. उपभोक्ता द्वारा राष्ट्रीय पोर्टल/राज्य पोर्टल पर आवेदन करते समय बैंक खाता संख्या, IFSC, आधार/मोबाइल संख्या तथा बिजली उपभोक्ता संख्या दर्ज की जाएगी।

ii. रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना, निरीक्षण और नेट–मीटरिंग पूर्ण होने के बाद DISCOM द्वारा उपभोक्ता की पात्रता, संयंत्र क्षमता और चालू स्थिति का सत्यापन किया जाएगा।

iii. सत्यापित विवरण ऊर्जा विभाग, बिहार/नामित राज्य एजेंसी को ऑनलाइन भेजा जाएगा, जिसमें उपभोक्ता संख्या, संयंत्र क्षमता, स्वीकृत सब्सिडी राशि और बैंक विवरण शामिल होंगे।

iv. ऊर्जा विभाग/राज्य DBT नोडल एजेंसी द्वारा बैंक खाते की NPCI/PFMS/राज्य DBT प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुष्टि की जाएगी, ताकि राशि सही लाभार्थी के खाते में जाए।

v. सत्यापन पूर्ण होने के बाद स्वीकृत राज्य सब्सिडी राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

राशि हस्तांतरण के पश्चात उपभोक्ता को SMS/पोर्टल सूचना के माध्यम से भुगतान की जानकारी दी जाएगी और ऊर्जा विभाग के dashboard पर भुगतान की स्थिति अद्यतन की जाएगी।

14. राष्ट्रीय पोर्टल/राज्य पोर्टल से सत्यापित उपभोक्ता डेटा प्राप्त कर ऊर्जा विभाग, बिहार द्वारा PFMS/राज्य DBT प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे उपभोक्ता के आधार–सीडेड बैंक खाते में अतिरिक्त राज्य सब्सिडी ऊर्जा विभाग द्वारा भेजी जायेगी। इस मॉडल में DISCOM की भूमिका तकनीकी सत्यापन, संयंत्र क्षमता की पुष्टि और नेट–मीटरिंग पूर्णता प्रमाणन तक सीमित रहेगी।

15. **इसके कार्यान्वयन से निम्नलिखित लाभ होगें:–**

- घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में कमी आयेगी, जिससे उपभोक्ताओं में संतोष बढ़ेगा।
- रूफटॉप सोलर स्थापना में वृद्धि तथा स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन।
- दिवसीय मांग के समय वितरण तंत्र पर भार में कमी।
- राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि एवं peak demand तथा तकनीकि हानियों में कमी आयेगी।
- राज्य में स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा एवं सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।
- स्थानीय स्तर पर सौर स्थापना, संचालन एवं रख–रखाव से संबंधित रोजगार अवसरों में वृद्धि।

16. योजना पर व्यय बजट उपबंध के अधीन सीमित रखा जायेगा।

17. अतएव प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता 10,000/– (दस हजार) रूपये प्रति किलोवाट अधिकतम 20,000/– (बीस हजार) रूपये प्रति उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से 01 वर्ष के लिए कुल 1,000/– करोड़ (एक हजार करोड़) रुपये अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

18. उक्त राशि बजट मांग संख्या–10, मुख्य शीर्ष, 2801–विद्युत–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता, उपशीर्ष–0004–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 विपत्र कोड– 10–2801801900004 विषय शीर्ष–33.01 सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से एवं शेष द्वितीय अनुपूरक में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा।

19. मंत्रिपरिषद की दिनांक–12.08.2026 को हुई बैठक में उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त है।

**आदेशः** **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

**(अजय यादव)**

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/BSP(H)CL–10/2026– 4255 /पटना, दिनांक– 14.08.2026

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को बिहार राजपत्र के प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

**सरकार के सचिव।**